संख्या-191/2020/2618/22-2-2019-ई-5714/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2020***

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री हरवंश सिंह निवासी जनपद-हापुड की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019, दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र पुत्र श्री हरवंश सिंह, ग्राम-दस्तोई, थाना-खरखौदा वर्तमान थाना-हापुड कोतवाली, जनपद-हापुड का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.03.1979 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कन्ट्रीमेड पिस्टल, बल्लम व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-308/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 23.02.1981 व 07.05.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2009 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.2017 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.04.2019 तक 09 वर्ष 07 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष 08 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी महेन्द्र (बन्दी संख्या-6154/2009) पुत्र श्री हरवंश सिंह निवासी जनपद-हापुड की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-191/2020/2618(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in